लेखों पर टिप्पणियाँ

Notes on Accounts

2015-16

अनुसूची - 25 / SCHEDULE –25
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखे पर टिप्पणियाँ
Notes on Accounts for the Year Ended 31st March 2016

1. जने पत्तन में कंटेनर घाट का विस्तार तथा अन्य सुविधाएँ :

कंटेनर यातायात में अपेक्षित वृध्दि को ध्यान में रखते हुए पत्तन उत्तर की दिशा में 330 मी. घाट लम्बाई की एक स्वतंत्र कंटेनर प्रहस्तन सुविधा का डीबीएफओटी आधार पर विकास कर रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत रु. 600 करोड़ है तथा इससे क्षमता में प्रतिवर्ष लगभग 9.6 मिलियन टनों (अर्थात 0.8 मिलियन टीईयू) की वृद्धि होगी। पत्तन ने 28.09 प्रतिशत राजस्व अंश उद्धृत करने वाले मेसर्स डी पी वर्ल्ड प्रा. लि. को स्वीकृति पत्र जारी किया है । पत्तन ने डी पी वर्ल्ड की विशेष उद्देश्य कम्पनी न्हावा शेवा (इंडिया) गेटवे टर्मिनल प्रा.लि के साथ 19 जून 2013 को एक छूट करार किया है। पत्तन ने परियोजना के लिए एक स्वतंत्र अभियंता के रूप में मे. सी ई एस को नियुक्त किया है। 02 वर्ष की निर्माण अवधि के साथ 03.07.2014 को छूट करार सौंपा गया तथा कार्य जारी है। परियोजना सुविधाओं की शुरुआत जुलाई, 2016 तक होने की संभावना है।

2. ज. ने. पत्तन में चौथे कंटेनर टर्मिनल का विकास –

विभिन्न अध्ययनों पर विचार करने से पता लगता है कि पत्तन को वर्ष 2018–19 तक 10 मिलियन टीईयू कंटेनर यातायात का प्रहस्तन करना पड़ेगा। अतिरिक्त यातायात के प्रहस्तन के लिए अतिरिक्त टर्मिनल सुविधा की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए जनेप न्यास ने डीबीएफओटी आधार पर चौथे कंटेनर टर्मिनल का विकास करने का निर्णय लिया है।

4.8 मिलियन टी इ यू कंटेनरीकृत कार्गो का प्रहस्तन करने के लिए परियोजना में बैक–अप सुविधाओं के साथ 2 किमी. लम्बे घाट का निर्माण शामिल है। परियोजना को दो चरणों में आरंभ किया जाएगा। 2.4 मिलियन टी ई यू की प्रहस्तन क्षमता के साथ पहला चरण (वित्तीय समापन एवं पूर्ववर्ती शर्तों के पूर्ण हो जाने के बाद) कार्य सौंपे जाने की तारीख से तीन वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा, तथा दूसरा चरण कार्य सौंपे जाने की तारीख से आठ वर्षों के अंदर प्रारंभ हो जाएगा।

पत्तन ने डीबीएफओटी आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक निविदा सूचना के माध्यम से बोलियाँ आमंत्रित की हैं। मे. पी एस ए भारत इनवेस्टमेंट प्रा. लि. (पी एस ए, सिंगापुर) ने परियोजना की सकल राजस्व आय में जनेप न्यास को 35.790: की हिस्सेदारी का प्रस्ताव दिया है। जनेप न्यास के न्यासी मंडल ने 26 फरवरी 2014 को हुई बैठक में पीएसए के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा उसी दिन अधिनिर्णय–पत्र जारी कर दिया गया। छूट करार पर 6 मई 2014 को हस्ताक्षर हुए । वित्तीय समापन की शर्त के पूरा हो जाने के बाद 22.12. 2014 को छूट करार सौंपा गया। चरण–। के लिए आवश्यक

1. EXTENSION OF CONTAINER BERTH AND OTHER FACILITIES AT JN PORT

In view of the expected growth in container traffic, the Port is developing a standalone container handling facility with a quay length of 330 m towards the North on DBFOT basis. The estimated cost of the project is Rs.600 Crs. with an estimated capacity addition of about 9.6 million tonnes (i.e. 0.8 million TEUs) per annum. The Port has issued LOA to M/s DP World Pvt. Ltd. who has quoted a revenue share of 28.09%. The Port has entered into a Concession Agreement with the SPV Company of M/s DP World (Nhava Sheva (India) Gateway Terminal Pvt. Ltd.) on 19th June 2013. The Port has appointed M/s. CES as the Independent Engineer for the Project. The concession was awarded on 03.07.2014 with construction period of 2 years and the work is in progress. The project facilities are likely to be commissioned in July, 2016.

2. DEVELOPMENT OF FOURTH CONTAINER TERMINAL AT JN PORT

It is envisaged from various studies that the Port would be required to handle container traffic to the tune of 10 million TEUs in the year 2018-19. In order to handle the additional traffic volume, further Terminal facility will be required. In view of this, JNPT has decided to develop Fourth Container Terminal on DBFOT basis.

The project consists of construction of 2 Km. long berth with back-up facilities to handle 4.8 million TEUs containerised cargo. The project will be taken up in two phases. The 1st phase will be completed in three years from the date of award (After financial closure and fulfilment of conditions precedent) with a handling capacity of 2.4 million TEUs, and the 2nd phase will be commissioned within eight years from the date of award.

The Port has invited bids through Global Tender Notice for the project on DBFOT basis. M/s. PSA Bharat Investments Pte. Ltd. (PSA, Singapore) has offered 35.790% of the Gross Revenue income to JNPT. The Board of Trustees of JNPT, in its meeting held on 26th Feb 2014, has accepted the offer of PSA and the Letter of Award (LOA) was issued on the same day. The Concession Agreement is signed on 6th May 2014. The concession was awarded on 22.12.2014 after fulfillment of condition of financial closure. The work of Phase-I development is in progress. The dredging required for Phase-I is completed. The reclamation of 40 hectares of land out of

निकर्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अप्रैल, 2016 से पाइलिंग का कार्य आरंभ हो गया है।

3. जनेप न्यास में अतिरिक्त द्रव टर्मिनल का विकासः

बढ़ते द्रव कार्गो यातायात की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पत्तन ने डीबीएफओटी आधार पर अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट का विकास करने का निर्णय लिया है। पत्तन ने मेसर्स एल एण्ड टी रामबोल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है जिन्होंने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं मुख्य योजना प्रस्तुत की है। यह परियोजना डीबीएफओटी आधार पर कार्यान्वित की जाएगी। पत्तन ने मेसर्स राइट्स लि. को लेन–देन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया है। पत्तन ने सात एजेन्सियों से 11 नवम्बर 2013 को योग्यता हेतु अनुरोध प्राप्त किए हैं। पीपीपीएसी ने कैबिनेट समिति की सिफारिश के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ।

इसी बीच में पोत परिवहन मंत्रालय ने वर्तमान परिदृश्य में यातायात की संभावना को ध्यान में रखते हुए परियोजना को फिर से तैयार करने का निदेश दिया। वर्तमान परिदृश्य में सलाहकार द्वारा समीक्षित यातायात पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर पत्तन ने 6 घाटों के बजाय 2 घाटों को विकसित करते हुए परियोजना को फिर से तैयार करने का निर्णय लिया। योग्यता हेतु अनुरोध 25.09.2015 को वैश्विक विज्ञापन द्वारा मंगाए गए तथा 20.10.2015 को आवेदन पूर्व सम्मेलन हुआ। पाँच आवेदकों ने 14.12.2015 को योग्यता हेतु अनुरोध प्रस्तुत किए और सभी पाँच योग्य पाए गए। इन पाँच बोली लगाने वालों में से केवल दो यथा – मेसर्स अदानी पोर्ट्स एन्ड एसईजेड लि. तथा मेसर्स केमीटेक डीएमसीसी के साथ संघ वाली मेसर्स आईएमसी लिमिटेड ने ही योगयता हेतु अनुरोध दस्तावेज का मूल्य अदा करके दस्तावेज प्राप्त किया। मेसर्स आईएमसी के संयुक्त उद्यम के भागीदार के पास सुरक्षा अनुमति न होने के कारण योग्यता हेतु अनुरोध के लिए बोली प्रस्तुत करने की तारीख 10.05.2016 तक बढ़ा दी गई। किन्तु, नियत तारीख को कोई बोलियाँ नहीं प्राप्त हुईं।

4. अवसंरचना आरक्षित (टैम्प) :

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्रालय ने प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर टैम्प को नीति–निर्देश जारी किए हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार रायल्टी/राजस्व का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा 5 वर्ष के अंदर पत्तन की बुनियादी सुविधाओं को तैयार करने एवं उनको आधुनिक बनाने के लिए निलंब लेखे में रखा जाना चाहिए। तद्नुसार पत्तन ने वित्तीय वर्ष 2014–15 तक टैम्प के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन किया है। किन्तु महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों, अर्थात 'महापत्तन न्यासों के प्रशुल्क निर्धारण की नीति, 2015', जो 13 जनवरी, 2015 से प्रभाव में आई, के अनुसार ऐसी राशि प्रथक नियत करना आवश्यक नहीं है। इसलिए वर्तमान वर्ष के लेखे में अवसंरचना आरक्षित के लिए कोई विनियोग नहीं किया गया है।

5. जनेप न्यास में सैप (ई आर पी) कार्यान्वयन :

जनेप न्यास ने सॉफ्टवेयर के विकास, एकीकरण एवं पत्तन प्रचालनों के उन्नयन का कार्य रु. 29.65 करोड़ की कुल लागत

90 hectares of land is completed. The piling work has been commenced from April, 2016.

3. DEVELOPMENT OF ADDITIONAL LIQUID TERMINAL AT JNPT

In order to cater the increased liquid cargo traffic, the Port had decided to develop an Additional Liquid Cargo Terminal on DBFOT basis. The Port had appointed M/s.L&T Ramboll as the Consultant, who have submitted the DPR and the Master Plan. The project will be implemented on DBFOT basis. The Port had appointed M/s. RITES Ltd. as the Transaction Advisor. The Port had received RFQs from seven agencies on 11th Nov. 2013. The PPPAC had cleared the proposal for recommendation of the Cabinet Committee.

In meantime, MOS has directed to restructure the project taking into consideration of the present scenario of traffic potential. In view of the reviewed traffic forecast by the consultant at present scenario, the Port has decided to restructure the project by developing 2 berths instead of 6 berths. The RFQ was invited by Global Press Advertisement on 25.09.2015. Pre-application conference was held on 20.10.2015. Five applicants submitted RFQ on 14.12.2015. All five bidders were pre-qualified. Out of five bidders, only two bidders namely M/s.Adani Ports and.SEZ Ltd. and M/s.IMC Ltd. in consortium with M/s.Chemie Tech DMCC collected RFP document by remitting the cost of RFP document. The bid due date of the RFP was extended upto 10.05.2016 for want of security clearance of the consortium member of M/s.IMC Ltd. However, on due date no bids were received for the same.

4. INFRASTRUCTURE RESERVE (TAMP)

The Ministry of Shipping, Road Transport and Highways has issued a policy direction to TAMP under section 111 of the MPT Act on revised guidelines for tariff fixation. As per the guidelines at least 50% of the royalty/revenue share should be maintained in an escrow account, for the purpose of creation and or modernization of Port infrastructure facilities within a period of five years. Accordingly Port has complied with the TAMP guidelines until financial year 2014-15. However, the new guidelines i.e. "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts 2015"issued by TAMP which came into effect from 13th January, 2015 are not mandating on setting aside such amount. Hence, no such appropriation has been carried out towards Infrastructure Reserve in current year accounts.

5. SAP (ERP) IMPLEMENTATION AT JNPT

JNPT awarded the work of Software Development, Integration & Upgrade of Port Operations to M/s.CMC Limited

पर 15 फरवरी, 2014 को मे. सी एम सी लिमिटेड को सौंप दिया।

मे. सी एम सी लिमिटेड ने अपना कार्य 13 मार्च 2014 को प्रारंभ किया। मे. सी एम सी लिमिटेड सैप (एक अग्रणी उद्यम संसाधन योजना) को कार्यान्वित करेगी जिसका अर्थ है सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोडक्टस इन डाटा प्रोसेसिंग।

मे. सी एम सी लिमिटेड जनेप न्यास में सैप का कार्यान्वयन आवश्यक सर्वरों, स्टोरेज, नेटवर्क के साथ करेंगे तथा एक आधुनिकतम डेटा सेंटर भी बनाएंगे। इससे नेविस टर्मिनल प्रचालन प्रणाली (टी ओ एस) के अलावा सभी मौजूदा एप्लीकेशनों के लिए एक साझा मंच पर एकीकृत समाधान तैयार हो सकेगा।

जनेप न्यास ने परियोजना की नियमित निगरानी के लिए उच्च प्रबंधन स्तर पर संचालन समिति गठित की है एवं सूचना प्रद्योगिकी के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए व्यवसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना के साथ मौजूदा प्रक्रिया के मापन हेतु सभी विभागों/अनुभागों के प्रक्रिया विशेषज्ञों की सहायता द्वारा एक आधारिक (कोर) टीम बनाई है।

सैप ई आर पी कार्यांवयन के तहत मॉडयूल :

- वित्तीय एवं प्रबंधन लेखाकरण
- सम्पदा प्रबंधन
- लोक सेवा प्रापण
- प्रापण वस्तु–सूची एवं गुणवत्ता प्रबंधन
- मानव संसाधन / वेतन चिट्ठा / कर्मचारी की स्वयं सेवाएं
- उद्यमिता शिक्षा
- परियोजना प्रणालियां
- अनुरक्षण प्रबंधन
- सैप रोगी देखभाल (रोगी प्रबंधन प्रणाली)
- सैप जी आर सी – प्रवेश नियंत्रण
- दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली

सैप के साथ तृतीय पक्ष एप्लीकेशन मॉड्यूल एकीकरण

- ग्रंथालय प्रबंधन प्रणाली
- आगंतुक प्रबंधन प्रणाली

मौजूदा नेविस टी ओ एस, जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली, पत्तन समुदायिक प्रणाली, कर्मचारी अभिलेखों, मंडल प्रकोष्ठ दस्तावेजोंधवित्त विभाग के वाउचरों के डाटा डिजिटलीकरण, के साथ एकीकरण तथा दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डी एम एस) के माध्यम से उन तक पहुंच को सुगम बनाना।

सैप कार्यान्वयन की स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

निर्धारित समय सारणी के अनुसार सैप का पुनः गो लाइव दि. 12 अप्रैल, 2016 को पूरा हो चुका था तथा दि. 13 अप्रैल, 2016 को सैप एप्लीकेशन उपयोग के लिए जारी किया गया था।

at a total cost of Rs.29.65 Crs. on 15th February, 2014.

M/s. CMC Limited started their work from 13th March, 2014. M/s.CMC Limited will be implementing SAP (one of the leading Enterprise Resource Planning) stands for System, Application, Products in Data Processing.

M/s. CMC Limited will be implementing SAP at JNPT along with required servers, storage, network and also making state of the art Data Centre. This will enable integrated solution for all the existing application on a common platform, other than NAVIS Terminal Operating System (TOS).

JNPT constituted Steering Committee for regular monitoring of the project at Senior Management Level and constituted Core Team assisted by Process Champions of all the departments/sections for mapping the existing process with Business Process Reengineering to optimise the IT resources.

Modules under SAP ERP implementation are:

- Financial & Management accounting
- Real Estate Management
- Public Service Procurement
- Procurement Inventory & Quality Management
- Human Resource / Payroll / Employee Self services
- Enterprise Learning
- Project Systems
- Maintenance Management
- SAP Patient Care (patient management system)
- SAP GRC – Access Control
- Document Management System

Third Party application module integration with SAP:

- Library Management System
- Visitor Management System

Integration with existing Navis TOS, Vessel Traffic Management System, Port Community System, Data Digitization for Employee Records, Board Cell documents / Finance vouchers and facilitate to access them through Document Management System (DMS).

Brief on SAP Implementation Status is as following

As per the schedule, Re Go Live of SAP was completed on 12th April 2016 and the SAP application released for use on 13th April 2016. Following modules made live on 13th April

निम्नलिखित मोड्यूल दि. 18 अप्रैल, 2016 को जारी किए गए थे :

1. वित्तीय लेखांकन तथा नियंत्रण
2. सामग्री प्रबंधन
3. बल्क बिलिंग
4. सम्पदा बिलिंग
5. नौका प्रबंधन
6. संयंत्र अनुरक्षण
7. परियोजना प्रणाली
8. रोगी प्रबंधन प्रणाली
9. फाइल प्रबंधन प्रणाली तथा दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
10. वेब इंटरफेस
11. ग्रंथालय प्रबंधन
12. आगंतुक प्रबंधन तथा सहायता केंद्र

क्योंकि रोगी प्रबंधन प्रणाली के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, इसलिए इस मोड्यूल का अभी तक ऑनलाइन लेनेदेन में उपयोग नहीं किया गया है। अप्रैल, 2016 की वेतनचिट्ठा की प्रक्रिया को सैप में तथा पुरानी प्रणाली में समानांतर रूप से चलाने की योजना है। मानव संसाधन मोड्यूल को दि. 12 मई, 2016 तक क्रियान्विलत किया जाना है।

6. 3 नई आर एम क्यू सी की प्राप्ति एवं 3 पुरानी आर एम क्यू सी का मुख्य कंटेनर घाट से उथले डुबाव घाट पर स्थानान्तरण :

ठेकेदार मे. अनुपम – एम एच आई इंडस्ट्रीज लि. ने नवम्बर/दिसम्बर, 2014 में क्रेनों की आपूर्तिय की। जांच एवं शुरुआत के कार्य के समापन के बाद इन क्रेनों को परीक्षण प्रचालनों के लिए तैनात कर दिया गया था। तथापि, मार्च 2015 में दो नई क्रेनों पर दुर्घटना के कारण, ठेकेदार द्वारा दुर्घटना का मूल कारण जानने के लिए इन तीन नई क्रेनों को प्रचालन कार्य से हटा लिया गया। पत्तन ने भी इस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए इन क्रेनों की संरचना पर्याप्तता तथा सुरक्षा की दृष्टिर से तकनीकी जाँच करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी मे. आईआरएस, मुंबई को नियुक्त किया था। मे. आईआरएस ने नई क्रेनों की तकनीकी तथा सुरक्षा संबंधी जाँच की और उपयोग के लिए सुरक्षित होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सभी तीन नई आरएमक्यूसी क्रेनों को दि. 8 मई, 2015 से (2 आरएमक्यूसी) तथा दि. 21 मई, 2015 से (1 आरएमक्यूसी) प्रचालन के लिए फिर से तैनात कर दिया गया ।

7. जनेप न्यास में पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास

परिचय : जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के किसी महापत्तन में बनने वाला इस प्रकार का पहला विशेष आर्थिपक क्षेत्र है। राज्यमार्गों को कार्गो टर्मिनल से जोड़नेवाले पनवेल–उरण मार्ग पर 277.38 हैक्टेयर पर इसका विकास किया जाएगा।

2016:

1. FI (Financial Accounting) and CO (Controlling).
2. Material Management
3. Bulk Billing
4. Real Estate Billing
5. Launch Management
6. Plant Maintenance
7. Project Systems
8. Patient Management System
9. File Management System & Document Management System
10. Web Interface
11. Library Management
12. Visitor Management & Helpdesk

As there is licenses requirement for Patient Management System, this module is yet to be used for online transactions. Payroll parallel run is planned in SAP and legacy for the payroll process of April 2016. It is scheduled to make HR module live by 12th May 2016.

6. ACQUISTION OF 3 NEW RMQCs AND SHIFTING OF OLD 3 RMQCs FROM MCB TO SDB

The contractor M/s. Anupam-MHI Industries Ltd. supplied the cranes in the month of Nov./ Dec., 2014. After completion of testing and commissioning work these cranes were deployed for trial operations. However, due to accident on 2 new cranes in the month of March, 2015 these 3 new cranes had been taken out of operation to identify the root cause of accident by the contractor. Port had also engaged an independent agency - M/s. IRS, Mumbai, for carrying out technical audit of the cranes from structural adequacy and safety point of view in the light of this accident. M/s.IRS, Mumbai carried out the technical & safety audit of new crane and after obtaining report for safe to use, all 3 RMQCs deployed back in operation w.e.f. 8th May, 2015 (2 RMQCs) and 21st May, 2015 (1 RMQC).

7. DEVELOPMENT OF PORT BASED SPECIAL ECONOMIC ZONE IN JNPT

Introduction : The proposed Special Economic Zone at Jawaharlal Nehru Port is the first-of-its-kind at a major port complex in the country, and would be developed on 277.38 hectares of land along the Panvel-Uran road connecting the cargo terminals to state highways.

यह क्षेत्र नवी मुंबई से 15 कि.मी. तथा मुंबई से लगभग 40 कि. मी. दूरी पर स्थित है। यह पत्तन से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 4–ख तथा राज्यमार्ग 54 पर है और इन मार्गों को अब 6/8 लेन का बनाया जा रहा है ।

प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र का तथ्य पत्रक

परियोजना प्रस्तावक	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास
परियोजना की अवस्थिति	न्हावा शेवा, ता. उरण, महाराष्ट्र
सीमांकित परियोजना क्षेत्र	277.38 हेक्टेयर
पहुँच मार्ग	मुंबई–गोवा राजमार्ग – रा.रा.4–ख तथा राज्यमार्ग 54 (पत्तन मार्ग) से सीधा प्रवेश
परियोजना के मुख्य विकास घटक	• प्रसंस्करण क्षेत्र (200.25 हेक्टेयर) • गैर–प्रसंस्करण क्षेत्र (77.13 हेक्टेयर)
नियोजित उद्योग तथा क्षेत्रों का प्रकार	• मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र • अभियांत्रिकी सामान क्षेत्र • इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर क्षेत्र • अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र • बहु सेवा (सूचना तकनीक तथा स्वास्थ्य) क्षेत्र • परिधान एवं वस्त्र क्षेत्र
राज्य के प्रमुख विकास केंद्रों/नोड से दूरी	• जनेप न्यास (पत्तन प्रचालन क्षेत्र) – 4 कि.मी. • मुंबई – 60 कि.मी. • नवी मुंबई – 15 कि.मी. • पुणे – 150 कि.मी.
विकास का तरीका	अभियांत्रिकी, प्रापण, निर्माण (ईपीसी) तरीका
कुल अपेक्षित निवेश	4000 करोड़ रुपयों का सार्वजनिक तथा निजी निवेश
परिकल्पित कुल रोजगार निर्माण	प्रत्यक्ष रोजगार रू 3000–4000 कर्मचारी अप्रत्यक्ष रोजगार रू 1.25 लाख

परियोजना के मुख्य उददेश्य

पत्तन के आयात–निर्यात व्यापार को बढ़ाने में सहायता करने के अलावा प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक संपोषणीय सामाजिक ढाँचे की परिकल्पना भी करता है। परियोजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाएगा –

- प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के लगभग 1.5 लाख अवसर निर्मित करना
- व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुशल श्रमशक्ति का विकास करना
- उद्यमशीलता के अवसर बढ़ाना
- विश्वस्तरीय औद्योगिक बुनियादी संरचना का निर्माण करना
- उत्कृष्ट आवसीय क्षेत्र उपलब्ध कराना

The site is around 15 km from Navi Mumbai and around 40 km from Mumbai city. The site is located along the NH 4B and SH 54 connecting to the port and the roads are currently being expanded to 6/8 lanes.

Fact Sheet of the Proposed Special Economic Zone

Project proponent	Jawaharlal Nehru Port Trust
Project Location	Nhava Sheva, Taluka Uran, Maharashtra
Demarcated Project Area	277.38 hectares
Approach Road	Direct access by Mumbai Goa Highway- NH4B and SH 54 (Port Road)
Key Development Components of the Project	Processing Zone (200.25 Ha) Non Processing Zone (77.13 Ha)
Type of Industries and Sectors planned	• Free Trade Warehousing Zone • Engineering Goods Sector • Electronics and Hardware Sector • Non-Conventional Energy Sector • Multi Services (IT and Healthcare) Sector • Apparel and Textiles Sector
Distance from Major Growth Centre/ nodes of the State	• JNPT (Port Operations Area)-4 km • Mumbai - 60 km • Navi Mumbai- 15 km • Pune - 150 km
Mode of Development	Engineering Procurement Construction (EPC) mode
Total Expected Investment	Public & Private investment of INR 4,000 Crore
Total Employment Generation envisaged	Direct Employment: 3,000-4,000 employees Indirect Employment: 1.25 lac

Key Objectives of the Project

Besides aiding the Port's EXIM trade enhancement, the proposed Special Economic Zone also envisages a sustainable social framework. The project implementation shall be aimed to:

- Generate direct and indirect Employment opportunities to the tune of around 1.5 lacs
- Nurture Skilled manpower to boost the trade
- Enhance Entrepreneurial opportunities
- Create World class industrial infrastructure
- Provide Premium residential neighborhood

परिकल्पित परियोजना विकास की अवधारणा

इस प्रस्तावित विकास की परिकल्पना भारत के विकासशील क्षेत्रों, जैसे परिवहन, अभियांत्रिकी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान एवं वस्त्र तथा अन्य बहु सेवा क्षेत्रों में सहयोग पर जोर देते हुए एक पत्तन आधारित बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्मित करने के लिए की गई है। इस प्रस्तावित औद्योगिक बुनियादी संरचना को स्वतः पोषित एकीकृत विकास के रूप में विकसित करने की योजना है।

परियोजना विकास

क्षेत्र का नाम	प्रमुख क्षेत्र
अभियांत्रिकी समूह	• भारी अभियांत्रिकी तथा मशीन औजार, परिधान मशीनरी, सीमेंट मशीनरी, सामग्री प्रहस्तन उपस्कर • वाहन – यात्री तथा उपयोगिता वाहन, वाहनों के पुर्जे, कृषि मशीनरी
वस्त्र तथा परिधान	• प्रक्रिया किए गए कपड़ों की सिलाई का (वस्त्र / परिधान) केंद्र
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण	• उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक – मोबाईल फोन, टी.वी. म्यूजिक सिस्टम • औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण – यूपीएस सिस्टम, एससीएडीए, पीएलसी, एसी, ड्राइव सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक घटक–सेमिकंडक्टर, सीआरटी, कैपेसिटर, पिक्चर ट्यूब
गैर–नवीकरणीय ऊर्जा	• गैर–नवीकरणीय ऊर्जा – जल, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सह–उत्पादन, जैव ऊर्जा
एफटीडब्ल्यूजेड़ / परिवहन केंद्र	• अं.कं.डिपो / कं.व. स्थानक (मल्टीमोडल गोदाम तथा पत्तन आधारित भण्डारण टैंक फार्म) नौवहन प्रचालन, पत्तन विकास परियोजनाएं, निकर्षण, पाइलटेज तथा नौकर्षण, हम्माली, जहाज की मरम्मत
बहु सेवाएं / सू. तक. आधारित सेवाएँ / स्वास्थ्य	• सूचना तकनीक सेवाएं तथा सॉफ्टवेयर– आईटी आउट सोर्सिंग तथा तैयार सॉफ्टवेयर • हार्डवेयर – बाह्य उपकरण तथा नेटवर्किंग उपस्कर • चिकित्सा सेवा प्रदाता – चिकित्सक विशेषज्ञ क्लिनिक, परिचर्यागृह तथा अस्पताल, चिकित्सा पर्यटन, संविदा अनुसंधान संगठन • निदान सेवाएं – शारीरिक द्रवों के विश्लेषण सहित विश्लेषणात्मक या नैदानिक सेवाएं देने वाले व्यवसाय या प्रयोगशालाएँ • चिकित्सा बीमा सेवाएं – व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा तथा संरक्षण • बीमार पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति सेवा

Envisaged Project Development Concept

The proposed development is envisaged to be a Port Based Multiproduct Special Economic Zone, with a focus on collaborating upcoming sectors of India such as Logistics, Engineering Goods, Electronics, Apparels and Textiles and Multi Services Sector among others. The proposed industrial infrastructure is planned as a Self-Sustainable Integrated Development.

Project Progress

Sector Profile	Key Focus Area
Engineering cluster	• Heavy engineering and machine tools- Machine tools, textile machinery, cement machinery, material handling equipment • Automotives - Passenger and utility vehicles. auto components, agriculture machinery
Textile and Apparel	• Stitching (Garment/apparel) assembly of processed fabric
Electronic Manufacturing	• Consumer Electronics-Mobile phones, TVs, Music system • Industrial Electronics- UPS system, SCADA, PLC, AC Drive system, Electronic Components Semiconductors, CRTs, Capacitors, Picture Tubes
Non-Renewal Energy	• Renewable energy-Hydro, Wind energy, Solar, Co-generation, Bio-energy
FTWZ / Logistics Centre	• ICD/CFS (Multimodal Warehouse and port based warehousing Tank farms), Shipping operation, Port development projects, Dredging, pilot age and towing, stevedoring, ship repair
Multi Services / ITES/ Health Care	• IT services and software - IT outsourcing and packaged software • Hardware-Peripherals and Networking equipments • Medical care providers-Physicians specialist clinics, nursing homes and hospitals, Medical tourism, Contract research organisations • Diagnostics Services-Business and laboratories offering analytic or diagnostic services including body fluid analysis • Medical Insurance Services-Health insurance and covers an individual's • hospitalization expenses and medical reimbursement facility incurred due to sickness

परियोजना की वास्तविक प्रगति (मई, 2016 तक)

गतिविधि	अब तक की स्थिति
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिसूचना	प्राप्त
राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की पर्यावरण मंजूरी	प्राप्त
प्रधान योजना तथा अभियांत्रिकी डिजाइन	पूर्ण हो चुकी है
चारों ओर दीवार का निर्माण तथा भराव	कार्य प्रगति पर है
बुनियादी संरचनाओं का विकास करने के लिए अभियांत्रिकी, प्रापण तथा निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार का चयन	चयन प्रक्रिया प्रगति पर है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र का विकास करने के लिए सह–विकासकर्ता का चयन	चयन प्रक्रिया प्रगति पर है।

8. भारतीय पत्तन रेल निगम लि. में निवेश

पोत–परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित 'भारतीय पत्तन रेल निगम लि' नामक नई कंपनी का पंजीकरण पत्तन रेल व्यवस्था तथा महापत्तनों तक के सम्पर्क के प्रबंधन तथा देखभाल के लिए किया जाएगा। पोत–परिवहन मंत्रालय ने अपने दि. 21 अप्रैल, 2015 के पत्र सं. ओएम28025 / 2 / 2014 तथा दि. 17 जून, 2015 के पत्र सं. पीडी–24015 / 56 / 2015–पीडी–4 द्वारा जनेप न्यास को इस नई कंपनी को रु.10.8 करोड़ की इक्विटी प्रदान करने तथा बाद में कोचीन पत्तन न्यास के शेयरों का अधिग्रहण करके इस नई कंपनी में रु. 15.30 करोड़ का कुल निवेश करने का निदेश दिया था। तदनुसार, जनेप न्यास ने भारतीय पत्तन रेल निगम लि. की इक्विटी में रु.15.30 करोड़ की कुल राशि का निवेश किया है।

9. आयकर संबंधी मामले

निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए आयकर विवरणी वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के अंदर प्रस्तुत कर दी गई है।

विभिन्न वर्षो के लिए आयकर निर्धारण स्थिति संक्षिप्त रुप से दी गई है :

निर्धारण वर्ष (2003–04 से 2005–06)

माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने दिनांक 30.09. 2010 के आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरुप कर में छूट की पात्रता का गुणदोष के आधार पर परीक्षण करने का निदेश दिया था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने माननीय आयकर अपील अधिकरण द्वारा जारी निदेशों पर ध्यान न देते हुए नए सिरे से निर्धारण किया। जनेप न्यास ने उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त, (अपील) ठाणे के पास अपील दायर की थी। मामले के जल्दी निपटान के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, ठाणे के पास जल्द सुनवाई याचिका भी दायर की गई थी।

उसके बाद मामले को खासकर पिछले निर्धारण वर्ष की सुनवाई के लिए आयकर आयुक्त (अपील) औरंगाबाद के पास स्थानांतरित कर दिया गया। आयकर आयुक्त (अपील) ने दि. 21.12.2015 को धारा 12एए के तहत पंजीकरण के परिणाम

On Ground Progress (As in May 2016)

Activity	Status as on Date
SEZ Notification from Ministry of Commerce	Received
Environmental Clearance from SEAC	Received
Master Planning and Engineering Design	Completed
Construction of Boundary wall & Earth Filling	Work in Progress
Selection of EPC Contractor for development of basic infrastructure	Selection in Process
Selection of Co-Developer for development of Free Trade Warehousing Zone of the SEZ	Selection in Process

8. INVESTMENT IN INDIAN PORT RAIL CORPORATION LIMITED

A new company promoted by Ministry of Shipping under the nomenclature 'Indian Port Rail Corporation Limited' is to be registered to manage and maintain port railway system and last mile connectivity of major ports. The Ministry of Shipping vide its letter no. OM28025/2/2014 dated 21st April, 2015 and letter no. PD-24015/56/2015-PD-4 dated 17th June, 2015 has directed JNPT to provide equity of Rs.10.8 Crs. towards the company to be floated and subsequently takeover the shares of Cochin Port Trust to make a total investment of Rs.15.30 Crs. in the new company. Accordingly, JNPT has invested a total amount of Rs.15.30 Crs. in equity of 'Indian Port Rail Corporation Ltd'.

9. INCOME TAX RELATED MATTERS

Income Tax Return for assessment year 2015-16 has been filed within the prescribed date during the year.

The income tax assessment status for the various years is summarized as below:

Assessment Year (2003-04 to AY2005-06)

The hon'ble ITAT of Mumbai vide its order dated 30/09/2010 had directed the assessing officer to examine the matter, on merits, for eligibility to tax exemption as a result of the registration u/s. 12AA. However the assessing officer has done de-novo assessment without taking into consideration the directions issued by the hon'ble ITAT. JNPT had filed an appeal with CIT (Appeals), Thane against the said order. Also, an early hearing petition was filed with the CCIT, Thane for early disposal of the case.

Thereafter the case was transferred to CIT (Appeals), Aurangabad for hearing specifically for the erstwhile assessment years. The CIT (Appeals) passed order on 21-12-2015 granting tax exemption u/s.11 to the Port as a result

स्वरूप पत्तन को धारा 11 के तहत कर में छूट देने संबंधी आदेश जारी किया। आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों, जिनके कारण पत्तन को काफी राशि वापिस मिल सकती थीय को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल के पास इस मामले के संबंध में नियमित पत्राचार किया गया था।

लेकिन विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने पत्तन का मामला अचानक ही विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे के पास स्थानांतरित कर दिया और पत्तन को इस स्थानांतरण के विरुद्ध अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं दिया। इस स्थानांतरण से नुकसान होने के कारण पत्तन ने मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जिस पर 06.05.2016 को पहली सुनवाई होनी थी। मामले पर सुनवाई हुई तथा इसे 15.6.2016 तक स्थगित कर दिया गया ।

निर्धारण वर्ष (2006–07 से 2007–08)

माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश द्वारा उक्त निर्धारण वर्षो के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरुप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के लिए जनेप न्यास की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया ।

आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के ऊपर उल्लिखित आदेशों के विरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की ।

मा. मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने दि. 08.06.2015 के आदेश द्वारा आयकर विभाग की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। बाद में आयकर विभाग ने दोनों वर्षों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। मामले की सुनवाई दि. 03.03.2016 तथा 04.03.2016 को थी जिसमें न्यायालय ने दोनों पक्षों को अगली कार्यवाही के लिए इजाजत दे दी।

निर्धारण वर्ष (2008–09)

माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरुप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के लिए जनेप न्यास की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया ।

आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के ऊपर उल्लिखित आदेशों के विरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की। इसी बीच, आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने मामले को पुनः शुरू कर दिया है। विभागीय आयकर आयुक्त ने इसके लिए दि. 15ध्03ध्2016 को आदेश जारी किया जिसके विरुद्ध पत्तन ने किए गए संवर्धनों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) ठाणे के पास अपील दायर की।

निर्धारण वर्ष (2009–10)

जनेप न्यास ने उपर्युक्त निर्धारण वर्ष में किए गए संवर्धनों के लिए आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के पास अपील दायर की है। पत्तन उक्त निर्धारण वर्षों के लिए

of the registration u/s.12AA. The case was regularly followed up with DCIT, Panvel for giving effect to the CIT (Appeals) orders which would result in considerable refunds to the Port.

However, the DCIT, Panvel abruptly transferred the Port's case records to DCIT (Exemptions), Pune without giving an opportunity to the Port for presenting its argument against the transfer. Aggrieved by this the Port has filed a writ petition with hon'ble Bombay High Court which was listed for admission hearing on 06-05-2016. The case was heard and the matter has been adjourned to 15-06-2016.

Assessment Year (2006-07 to 2007-08)

The hon'ble ITAT, Mumbai has vide its order for the said assessment years has directed the assessing officer to re-examine the matter for eligibility of JNPT to tax exemption u/s.11(1) of The Income Tax Act, 1961 as a result of the registration u/s.12AA.

The Income Tax Dept. had filed appeals against the above mentioned orders of ITAT, Mumbai with the hon'ble Bombay High Court in the said cases.

The hon'ble Bombay High Court has vide its order dated 08-06-2015 dismissed both the appeals of the Income Tax Dept. Further the Income Tax Dept. has filed appeals for both the years with the hon'ble Supreme Court. The case was listed for hearing on 03-03-2016 & 04-03-2016 in which the hon'ble Court has granted leave to both parties for further proceedings.

Assessment Year (2008-09)

The hon'ble ITAT, Mumbai has vide its order for the said assessment year has directed the assessing officer to re-examine the matter for eligibility of JNPT to tax exemption u/s. 11(1) of The Income Tax Act, 1961 as a result of the registration under s. 12AA.

The Income Tax Dept. had filed appeals against the above mentioned orders of ITAT, Mumbai with the hon'ble Bombay High Court in the said case.

In meanwhile the case was re-opened by DCIT, Panvel u/s.148 of the IT Act. The order for the same was passed by DCIT on 15-03-2016 against which the Port has filed an appeal with CIT (Appeals), Thane against the additions made.

Assessment Year (2009-10)

JNPT has preferred appeal with the ITAT, Mumbai against the order passed by CIT (Appeals), Thane for the said assessment year against the additions made. For the said assessment year the Port is also trying to seek exemption

अपील के अतिरिक्त आधार दिखाकर धारा 11 के तहत छूट मांगने का प्रयास कर रहा है ।

निर्धारण वर्ष (2010–11 से निर्धारण वर्ष 2011–12)

जनेप न्यास ने उक्त निर्धारण वर्षो के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध आयकर आयुक्त, ठाणे के पास अपील दायर की है। उक्त निर्धारण वर्षों की सुनवाई के लिए मामले को आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के पास स्थानांतरित किया गया था। आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा संयुक्त आयकर आयुक्त, पनवेल की ओर से किए गए संवर्धनों की पुष्टि की गई थी। पत्तन आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के उक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय आयकर अपील अधिकरण के पास अपील दायर करने की प्रक्रिया में है।

पत्तन उक्त निर्धारण वर्षों के लिए अपील के अतिरिक्त आधार दिखाकर धारा 11 के तहत छूट मांगने का भी प्रयास कर रहा है।

निर्धारण वर्ष (2013–14)

जनेप न्यास ने उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध आयकर आयुक्त, ठाणे के पास अपील दायर की है। पत्तन द्वारा आयकर अधिनियम 80 आईए के तहत किया गया कटौती का दावा आयकर विभाग द्वारा खारिज किया गया है जिसके विरुद्ध आयकर आयुक्त (ठाणे) के सामने अपील की गई थी ।

निर्धारण वर्ष (2014–15)

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने अचानक ही पत्तन का मामला विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे के पास स्थानांतरित कर दिया था। पत्तन ने मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जिस पर 06.05.2016 को पहली सुनवाई थी। मामले पर सुनवाई हुई तथा 15.6.2016 तक इसे स्थगित कर दिया गया ।

निर्धारण वर्ष (2015–16)

इस वर्ष के लिए आयकर विवरणी दिनांक 30.09.2015 को फाइल की गई ।

10. कर / अग्रिम कर के लिए प्रावधान

पत्तन ने निर्धारण वर्ष 2016–17 के दौरान ग्राहकों तथा संस्थानों द्वारा काटे गए स्रोत कर सहित रु. 343.57 करोड़ के अग्रिम आयकर का भुगतान किया है। आस्थगित कर सहित रु. 372.93 करोड़ के कर हेतु प्रावधान किया गया है ।

11. अंतिम निपटान के लिए दंड के नोटिस के विरुद्ध एमएसईडीसीएल के लिए रु.72.85 करोड़ का प्रावधान

1. मेसर्स एमएसईडीसीएल से दिसम्बर, 2012 में विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत रु. 225.95 करोड (जून, 2003 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के लिए) का आकलन बीजक प्राप्त हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जनेप न्यास ने अपने निर्माण प्रहस्तन हस्तांतरण प्रचालकों को बिजली का अप्राधिकृत वितरण किया है। अनुभाग अभियंता, वाशी ने आरोप लगाया कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार जनेप न्यास द्वारा निर्माण प्रहस्तन हस्तांतरण प्रचालकों को बिजली की आपूर्ति करना अनाधिकृत है तथा जनेप न्यास को रु. 222. 95 करोड़ की दंड राशि का भुगतान करने का निदेश दिया।

u/s.11 by filing additional grounds of appeal.

Assessment Year (2010-11 & 2011-12)

JNPT have preferred appeals with the CIT (Appeals), Thane against the orders passed by the assessing officer for the said assessment years. The case was transferred to CIT (Appeals), Aurangabad for hearing for the said assessment years. The orders were passed by CIT (Appeals) confirming the additions made by JCIT, Panvel. The Port is in the process of filing appeal with ITAT against the said orders of CIT (Appeals), Aurangabad.

For the said assessment years the Port is also trying to seek exemption u/s.11 by filing additional grounds of appeal.

Assessment Year (2013-14)

JNPT have preferred appeal with the CIT (Appeals), Thane against the orders passed by the assessing officer for the said assessment years. Sec.80IA deduction claimed by Port has been disallowed by the IT Dept. which has been appealed before the CIT (Appeals), Thane.

Assessment Year (2014-15)

The DCIT, Panvel has abruptly transferred the Port's case records to DCIT (Exemptions), Pune as mentioned above. The Port has filed a writ petition with hon'ble Bombay High Court which was listed for admission hearing on 06-05-2016. The case was heard and the matter has been adjourned to 15-06-2016.

Assessment Year (2015-16)

The Income Tax Return for the year has been filed on 30.09.2015.

10. PROVISIONS FOR TAX / ADVANCE TAX

The Port has paid advance income tax amounting to Rs.343.57 Crs. including TDS deducted by customers & institutions during the year for A.Y. 2016-17. Provision for tax has been made for Rs.372.93 Crs. including deferred tax.

11. PROVISION OF RS. 72.85 CRS. TO MSEDCL AGAINST THE PENALTY NOTICE FOR FINAL SETTLEMENT

1. An assessment bill under section 126 of Electricity Act received from M/s MSEDCL in December 2012 for an amount of Rs. 222.95 Crore (For a period from June 2003 to December-2012) alleging unauthorized distribution of power to the BOT operators by JNPT. SE Vashi alleged that providing power supply to the BOT operators by JNPT is illegal as per EA Act-2003 and directed JNPT to pay a penalty of Rs. 222.95 Crs.

2. जनेप न्यास ने मा. मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की और न्यायालय ने जनेप न्यास तथा एमएसईडीसीएल दोनों को सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाने का निदेश दिया।
3. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 184 के तहत छूट प्राप्त करने की भी कोशिश की गई थी लेकिन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे अस्वीकार किया था। पोत–परिवहन मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया था कि जनेप न्यास को विद्युत अधिनियम की धारा 184 के तहत वितरण लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने के लिए अधिसूचना जारी करें।
4. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय पोत–परिवहन मंत्री के बीच दि. 26 फरवरी, 2015 को एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि जनेप न्यास द्वारा आपसी रूप से सहमत राशि का भुगतान एमएसईडीसीएल को किया जाना चाहिए तथा मुंबई उच्च न्यायालय से मामले को वापिस लिया जाना चाहिए । पत्तन अपने अनुज्ञप्ति ग्राहियों को फ्रैन्चाइजी रूट या बहुपक्षीय करार के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करेगा।
5. प्रबंध निदेशक, एमएसईडीसीएल को अवर सचिव महाराष्ट्र सरकार द्वारा दि. 18 नवम्बर, 2015 को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है जिसमें एमएसईडीसीएल को परामर्श दिया गया है कि वे जनेप न्यास से रु. 72.85 करोड़ प्राप्त करें जो जनेप न्यास ने निर्माण, प्रहस्तन तथा हस्तांतरण प्रचालकों से वसूल किए थे।
6. प्रबंध निदेशक, एमएसईडीसीएल से दि. 17 दिसम्बर, 2015 का पत्र सं. पी.कॉम/जेएनपीटी/41811 प्राप्त हुआ जिसमें एमएसईडीसीएल के वर्तमान शुल्क के अलावा निर्माण, प्रहस्तन तथा हस्तांतरण प्रचालकों से वसूल किए गए रु. 72.85 करोड़ का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।
7. मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) से दि. 12 जनवरी, 2016 का पत्र सं. समन्वय–प्रकोष्ठ/जनेप न्यास/उरण/1781 प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया है कि जनेप न्यास द्वारा मेसर्स एनएसआईजीटी के लिए आवेदन किया गया 9 मेगावैट का अतिरिक्त विद्युत भार रु. 72.85 करोड़ का भुगतान करने पर फ्रैन्चाइजी रूट अथवा बहुपक्षीय करार के माध्यम से कनेक्शन जारी किया जा सकता है।
8. हमारे वकील के साथ हुई बैठक के आधार पर दि. 30 जनवरी, 2016 को यह निर्णय लिया गया था कि बैठक का सहमति कार्यवृत्त मेसर्स एमएसईडीसीएल को भेजा जाए और सहमति आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद रु.72.85 करोड़ का भुगतान किया जाए तथा फ्रैन्चाइजी रूट अपनाया जाए अथवा बहु–पक्षीय करार किया जाए।
9. कानूनी मामले के अंतिम निपटारे के लिए "आदेश का सहमति कार्यवत्त" का मसौदा एमएसईडीसीएल को दि. 30 जनवरी, 2016 के पत्र द्वारा भेजा गया। एमएसईडीसीएल के "आदेश का सहमति कार्यवृत्त" का मसौदा आदेश सहमति कार्यवृत्त के साथ दि. 29 अप्रैल, 2016 के पत्र द्वारा प्राप्त हुआ।
10. वर्ष 2015–16 की लेखा बहियों में उपर्युक्त रु. 72.85 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसे वर्ष के लिए लाभ तथा हानि खाते में "असाधारण मदों" के तहत वर्गीकृत किया गया है।

2. JNPT approached Honourable High Court of Bombay and the Court directed both JNPT and MSEDCL to resolve the dispute amicably.
3. It was also tried to get exemption under section 184 of the EA Act 2003 however it was turned down by the Ministry of Power, Government of India. Ministry of shipping had requested to Ministry of Power to issue a notification for exempting JNPT under section-184 of EA Act from obtaining Distribution license.
4. A meeting was held on 26th February 2015 between the Hon. Chief Minister of Maharashtra and Hon. Union Minister of Shipping where it was discussed that a mutually agreed amount should be paid by JNPT to MSEDCl and suit before the High court should be withdrawn. JNPT will obtain necessary license to enable distribution of power to the Port concessionaries through the Franchisee route or Multiparty agreement.
5. A copy of letter addressed to MD MSEDCL dtd. 18th November 2015 received from the Undersecretary, Govt. of Maharashtra wherein it was advised to MSEDCL to collect Rs. 72.85 Crore from M/s JNPT which were recovered by JNPT from the BOT operators.
6. A letter no. P-Com/JNPT/41811 dtd.17th Dec. 2015 received from the MD, MSEDCL requesting to make payment of Rs. 72.85 Crs. which were recovered by JNPT from the BOT operators in addition to the prevailing MSEDCL tariff.
7. A letter no. Co-ord cell/JNPT/Uran/1781 dtd. 12th January, 2016 recd. from Chief Engineer (Commercial) stating that additional load of 9 MVA which JNPT has applied for M/s NS(I)GT can be released subject to payment of Rs. 72.85 Crs. and availing connections through either Franchisee route or Multiparty agreement.
8. On 30th January, 2016, based on the meeting with our Counsel it was concluded to send Consent Minutes of meeting to M/s. MSEDCL and after signing consent order to make a payment of Rs.72.85 Crs. and going for Franchisee route or Multi-party agreement.
9. Draft 'CONCSENT MINUTES OF ORDER' for final settlement of the legal issue sent to MSEDCL vide letter dtd.30th Jan 2016. MSEDCL draft "Consent Minutes of order" received vide their letter dtd. 29th April, 2016 alongwith Draft Consent Minutes of order.
10. The above amount of Rs.72.85 Crs. has been provided for in the books of accounts for the year 2015-16. The same has been classified under the head 'Extra-Ordinary Item' in the Profit & Loss account for the year.

12. पत्तन परिसम्पत्तियों का बीमा

सूनामी, चक्रवात आदि घटनाओं तथा मंत्रालय से प्राप्त निदेशों एवं भारतीय पत्तन संघ द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पत्तन ने एक स्वतंत्र मूल्यांकक से पत्तन परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कराने के बाद मार्च, 2006 से एक विस्तृत पत्तन पैकेज नीति तैयार की है।

विस्तृत पत्तन पैकेज नीति में निम्नलिखित बीमा रक्षा क्षेत्र आते हैं :

1) भूकम्प जोखिम की पॉलिसी के साथ मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी (पत्तन प्रचालन क्षेत्र एवं नगरक्षेत्र से बाहर स्थापित परिसम्पत्तियों के लिए)
2) विस्तृत पत्तन पैकेज – सम्पत्ति
3) विस्तृत पत्तन पैकेज – देयता
4) विस्तृत पत्तन पैकेज – व्यापार व्यवधान (एफएलओपी / एमएलओपी / पत्तन कामकाज में बाधा, मलबे का निष्कासन)
5) समुद्री पेटा – प्लवन नौकाएँ
6) विश्वसनीयता गारंटी पॉलिसी
7) इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर बीमा
8) निदेशक और अधिकारी देयता नीति
9) आतंकवाद से विशेष सुरक्षा

पत्तन परिसम्पत्तियों को बीमे की मौजूदा राशि लगभग रु. 2885.45 करोड़ है। वर्तमान व्यापक पत्तन पैकेज पॉलिसी को दि. 1.04.2015 से 31.03.2016 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए सेवा–कर सहित रु. 4.75 करोड़ की किस्त देकर नवीकृत किया गया। बाद में इस पॉलिसी को सेवा कर सहित रु. 3.97 करोड़ की किस्त देकर दि. 01.04.2016 से नवीकृत किया गया है, जो 31.03.2017 तक वैध होगा।

13. भविष्य निधि, उपदान निधि एवं पेंशन निधि के लिए न्यास

आयकर अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए पृथक न्यासों का गठन किया गया है जो 31.03.2003 से प्रारंभ हुए :

आयकर विभाग इन न्यासों को मान्यता दे चुका है और उपदान और पेंशन के वार्षिक अंशदान से संबंधित राशियाँ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जा रही हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त पत्तन की छुट्टी नकदीकरण देयता भी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जाती है। मंत्रालय ने दि. 19 मई, 2005 के पत्र सं.पीआर–24021 / 20 / 2004–पीजी के द्वारा उक्त करार का 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदन कर दिया है।

12. INSURANCE OF PORT ASSETS

In view of incidents like Tsunami, Cyclones etc., and directives received from Ministry as well as report of committee constituted by IPA, the Port finalized the Comprehensive Port Package Policy w.e.f. March, 2006 after valuation of certain Port's Assets by an Independent Valuer.

The comprehensive Port Package Policy comprises of the following Insurance cover:

1. Standard Fire & Special Perils Policy with Earthquake extension (for assets outside Port operational area and township).
2. Comprehensive Port Package – Property
3. Comprehensive Port Package - Liability
4. Comprehensive Port Package –Business Interruption (FLOP/MLOP/Port Blockage, Wreck removal)
5. Marine Hull – Floating Crafts
6. Fidelity Guarantee Policy
7. Electronic Equipment Insurance
8. Directors and Officers Liability Policy
9. Standalone terrorism cover

The current sum insured for the Port assets is around Rs.2885.45 Crs. The current Comprehensive Port Package Policy was renewed w.e.f. 01/04/2015 for a premium of Rs.4.75 Crs. including service tax for a period of 1 year upto 31/03/2016. Further this policy has been renewed w.e.f. 01/04/2016 for a premium of Rs. 3.97 Crs. including service tax and is valid upto 31/03/2017.

13. TRUSTS FOR PROVIDENT FUND, GRATUITY FUND & PENSION FUND

In order to comply with the provisions of Income Tax Act, separate Trusts were created with the approval of the Board in respect of the following and came into existence on 31.3.2003:

Income Tax Dept. has since granted recognition to these Trusts and amounts pertaining to Gratuity and Pension are being deposited with Life Insurance Corporation of India towards annual contribution based on the actuarial valuation. In addition to the above, Leave Encashment liability of the Port is also deposited with L.I.C. based on the actuarial valuation. Ministry vide letter No.PR-24021/20/2004-PG dated 19th May 2005 have granted 'in principle' approval to the above arrangement.

क्र.सं.	निधि का नाम	न्यास का नाम
1	भविष्य निधि	ज. ने. पत्तन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
2	उपदान निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन कर्मचारी उपदान न्यास
3	पेंशन निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन अधिवर्षिता न्यास

सेवानिवृत्ति के लाभों हेतु अंशदान

वित्तीय वर्ष 2003–04 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सभी देयताओं का लेखा–बहियों में पूरी तरह से प्रावधान किया गया है और कोई अवित्त पोषित देयता नहीं है।

इन निधियों के कारण 31.3.2016 को कुल देयता रु. 1,265.16 करोड़ थी तथा इन निधियों का 31.3.2016 को कुल मूल्य रु. 1,271.48 था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इन निधियों में रु.145. 20 करोड़ के कुल अंशदान के बाद इन निधियों की देयता में किसी प्रकार की कमी नहीं है।

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.16 को आवश्यक निधि	निधि शेष	वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	31.03.16 को कुल आय	31.03.16 को बकाया देयता	31.03.16 को अवित पोषित देयता
1	पेंशन निधि	1,079.70	972.46	145.02	1,117.48	-	(37.78)
2	उपदान निधि	93.37	93.16	0.15	93.31	-	0.06
3	छुट्टी नकदीकरण निधि	92.09	60.66	0.03	60.69	-	31.40
	कुल	1,265.16	1,126.28	145.20	1,271.48	-	(6.32)

14. टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराया :

चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक, जो तुलन–पत्र में परिलक्षित हुआ है वह है कि पट्टा किराए, वे–लीव, भूमिगत पाइप लाइन तथा जल प्रभारों (न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय को छोड़कर) के कारण टैंक फार्म प्रचालकों पर दि. 31.3.2016 को रु. 337.94 करोड़ की बकाया बड़ी राशि। न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के अर्थदण्ड के सबंध में तैयार किए गए बीजकों पर आपत्ति उठाई गई हैं तथा कुछ भी राशि नहीं मिल रही है इसलिए सारे मामले को उच्च न्यायालय को/मध्यस्थता के लिए भेजा गया है। उच्च न्यायालय/मध्यस्थता की कार्यवाही अभी भी जारी हैं। केवल न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के कारण ही टैंक फार्म प्रचालकों पर कुल बकाया राशि 31.3.2016 को रु. 229.02 करोड़ निकलती है तथा जिसमें से रु. 143.46 करोड़ वर्तमान परिसम्पत्तियों का हिस्सा है।

15. बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज :

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार पत्तन को ग्राहकों से बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज वसूल करनी होती है। तथापि टैंक फार्मों एवं अन्य मामलों में संपदा किराए की अधिकतर बकाया राशि विवादित है और मामले का निपटारा अभी होना बाकी है। जब मूलधन की राशि ही विवादित है तो उस पर दंड स्वरूप ब्याज वसूल करना उचित

Sr. No.	Name of Fund	Name of the Trust
1.	Provident Fund	JN Port Employees Provident Fund Trust
2.	Gratuity Fund	JN Port Employees Gratuity Trust
3.	Pension Fund	JN Port Superannuation Trust

Contribution for Retirement Benefits

All the liabilities as per actuarial valuation from the FY 2003-04 to FY 2015-16 have been fully provided for in the books of accounts and there are no unfunded liabilities.

The total liability on account of these three Funds stood at Rs.1,265.16 Crs. on 31.03.2016 and the total value of these Funds stood at Rs. 1,271.48 Crs as on 31.03.2016. With the total contribution of Rs. 145.20 Crs. in FY 2015-16 to these Funds and there is no shortfall liability against these funds.

(Rs in Crs.)

Sr. No.	Particulars	Fund required as on 31.03.16	Fund balance	Contribution made during the year	Total as on 31.03.16	OSL as on 31.03.16	Unfunded Liability as on 31.03.16
1	Pension Fund	1,079.70	972.46	145.02	1,117.48	-	(37.78)
2	Gratuity Fund	93.37	93.16	0.15	93.31	-	0.06
3	Leave Encashment Fund	92.09	60.66	0.03	60.69	-	31.40
	Total	1,265.16	1,126.28	145.20	1,271.48	-	(6.32)

14. LEASE RENTALS FROM TANK FARM OPERATORS

One of the major areas of concern reflected in the Balance Sheet is the huge Outstanding from Tank Farm Operators on account of Lease Rentals, Way-Leave, Buried Pipeline and Water Charges, (excluding MGT) which stands at Rs.337.94 Crs. as on 31.03.2016. The Invoices raised in respect of penalty for Minimum Guaranteed Throughput (MGT) have been disputed and no amount is forthcoming and along with certain other issues the matter has been referred to High Court/arbitration. The High Court/arbitration proceedings are still in progress. The total amount due from Tank Farm Operators on account of MGT alone stands at Rs.229.02 Crs. as on 31.03.2016 and of which Rs.143.46 Crs. forms part of Current Assets.

15. PENAL INTEREST ON OUTSTANDING DUES

As per the directions of the Tariff Authority for Major Port, the Port is to charge penal interest on outstandings from customers. However, in the case of Estate Rentals, both Tank Farm and others most of the outstandings are disputed and the matter is yet to be resolved. When the principal itself is disputed, charging penal interest on the principal has not been considered proper. As per the Accounting Standard-9, "Revenue Recognition", if at the time of rendering of services

नहीं समझा गया है। लेखाकरण मानक – 9 'आय पहचान' के अनुसार यदि बिक्री या सेवाएं देते समय राजस्व के अंतिम संग्रहण में बड़ी अनिश्चितता हो तो आय की पहचान को स्थगित कर दिया जाता है तथा ऐसे मामलों में राजस्व को लेखे में तभी लिया जाना चाहिए जब यह ठीक तरह से निश्चित हो जाए कि अंतिम संग्रह किया जाएगा। तद्नुसार उक्त को संपदा किराया, टैंक फार्म एवं न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के बकायों पर प्रभारित नहीं किया गया है।

16. बीओटी प्रचालकों को सौंपे गए शेड/अन्य परिसम्पत्तियाँ :

एपीएम टर्मिनल/जीटीआईपीएल के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार बल्क भंडारण शेडों को उन्हें सौंप दिया गया है तथा उन शेडों को यार्ड बनाने एवं अन्य सुविधाएँ तैयार करने के लिए नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ अन्य परिसम्पत्तियों जैसे, वैगन लदाई प्लेटफार्म, कैन्टीन आदि को भी उन्हें सौंप दिया गया है। ये परिसम्पत्तियाँ उसी रूप में पत्तन को वापस प्राप्त नहीं होंगी, जिस रूप में उन्हें सौंपा गया था। उन्हें सौंपी गई अन्य परिसम्पत्तियों के साथ–साथ ऐसी परिसम्पत्तियों पर पट्टा किराया वसूल किया जा रहा है। अतः इन परिसम्पत्तियों को निर्धारित परिसम्पत्तियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है एवं अलग से 'सुधार के लिए बीओटी प्रचालकों को सौंपे गए शेडों/परिसम्पत्तियों' के रूप में दिखाया गया है। सौंपे जाने के समय इन परिसम्पत्तियों का ह्रासित मूल्य रु.54.53 करोड़ था। इन परिसम्पत्तियों का समान किस्तों में 30 वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है। इनका परिशोधित मूल्य दिनांक 31.03.16 को रु. 33.63 करोड़ है।

17. संस्थापित और उपयोगित क्षमता :

प्रहस्तित यातायात और संस्थापित क्षमता का विवरण नीचे दिया जा रहा है –

18. आयातों का मूल्य (सीआईएफ) :

भाड़ा बीमा लागत के आधार पर परिकलित आयातों के मूल्य एवं विदेशी मुद्रा में व्यय नीचे दिए जा रहे हैं :

19. लेखा–परीक्षकों को पारिश्रमिक :

20. कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर किए गए व्यय का विवरणः

21. अनिवार्य मदों पर किया गया व्यय

(दस लाख टनों में)

विवरण	संस्थापित क्षमता		वास्तविक रूप से उपयोगित क्षमता	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
ज.ने.प.कं.टर्मिनल (मुख्य घाट)	71.97	16.88	16.61	15.20
जीटीआईपीएल		26.40	24.29	26.85
एनएसआईसीटी		15.00	12.06	14.13
उथला डुबाव घाट–कं.ट.		1.20	1.37	0.75
एनएसआईजीटी		-	2.46	-
उथला डुबाव घाट–ब.ट.	0.90	0.90	1.22	1.12
बी.पी.सी.एल. (द्रव कार्गो घाट)	6.50	5.00	5.97	5.75
कुल योग	**79.37**	**65.38**	**63.98**	**63.80**

or sale there is significant uncertainty in ultimate collection of the revenue then the revenue recognition is postponed and in such cases revenue should be recognized only when it becomes reasonably certain that ultimate collection will be made. Accordingly the same is not charged on Estate Rentals, Tank farm & MGT outstanding.

16. SHEDS / OTHER ASSETS HANDED OVER TO BOT OPERATOR

As per terms of agreement with APM Terminal / GTIPL, Bulk storage sheds have been handed over to them which could be demolished for creation of yard and other facilities. In addition, certain other assets like wagon loading platform, canteens etc. have also been handed over to them. These assets will not revert back to the Port in the same form in which they were handed over. Lease rentals are being collected on such assets along with all other assets handed over. Hence, these assets have been removed from fixed assets register and shown separately as 'Sheds/Assets handed over to BOT operator for modification.' The WDV of these assets was Rs.54.53 Crs. at the time of handing over. These assets are being amortised equally over a period of 30 years. The amortised value of these assets as on 31.03.2016 is Rs.33.63 Crs.

17. CAPACITY INSTALLED & UTILISED

The details of traffic handled and capacity installed is given below:

18. VALUE OF IMPORTS (CIF)

The values of imports calculated on CIF basis and expenditure in foreign currency are given below:

19. REMUNERATION TO AUDITORS

20. DETAILS OF STAFF STRENGTH AND EXPENDITURE INCURRED THEREON

21 EXPENDITURE ON CERTAIN ITEMS

(In Million Tonnes)

Particulars	Capacity Installed		Capacity Actually Utilized	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
JNPCT (Main Berth)	71.97	16.88	16.61	15.20
GTIPL		26.40	24.29	26.85
NSICT		15.00	12.06	14.13
Shallow Draught Berths-CT		1.20	1.37	0.75
NSIGT		-	2.46	-
Shallow Draught Berths-BT	0.90	0.90	1.22	1.12
BPCL (Liquid Cargo Berth)	6.50	5.00	5.97	5.75
Grand Total	**79.37**	**65.38**	**63.98**	**63.80**

22. 31 मार्च, 2016 को आकस्मिक देयताएँ :

(क) विभिन्न ठेकेदारों के ऐसे दावे जो मध्यस्थता/मुकदमेबाजी/विवाद के अधीन हैं एवं जिन्हें लेखों में देयताओं के रूप में नहीं दिखाया गया है वे रु. 36.33 करोड़ के हैं।

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	उपभोज्य एवं कलपुर्जे	1.45	1.81
2	पूंजीगत माल	2.96	0.07
3	प्रशिक्षण, दैनिक भत्ता, सम्मेलन व्यय, अनुरक्षण ठेके इत्यादि के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय	0.04	0.19
4	सेवाओं–मध्यस्थता प्रभारों के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय	0.24	0.15
5	अभिदान आदि के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय	0.05	0.09
6	आयातित एवं देशी उपभोज्य कलपुर्जों का मूल्य एवं कुल उपभोग में उसका प्रतिशत (करोड़ रुपयों में)	आयातित 1.45 19.33%	आयातित 1.81 16.17%
		स्वदेशी 6.05 80.67%	स्वदेशी 9.38 83.82%
		कुल 7.50 100.00%	कुल 11.19 100.00%
7	वर्ष में पूंजीगत लेखे से की गई और उसमें शामिल न की गई भंडार और सामग्री की कुल खरीद	शून्य	शून्य

(लाख रुपयों में)

विवरण	2015-16	2014-15
मुख्य महालेखापरीक्षक को लेखा परीक्षक के रूप में	20.14	28.50
कराधान मामले के लिए कर लेखा–परीक्षकों को	6.30	5.70
आंतरिक लेखा परीक्षक	5.73	7.86
प्रमाणन सहित प्रबंधन सेवा	15.20	8.14
योग	**47.37**	**50.20**

(ख) मुकदमेबाजी के अंतर्गत लवण पटल भूमि के लिए रु. 25.00 करोड़ के क्षतिपूर्ति के दावे।

कोटि श्रेणी	दि. **31.03.2016** को	दि.**31.03.2015** को
I	183	186
II	48	49
III	1308	1333
IV	99	101
योग	**1638**	**1669**
कर्मचारियों को वार्षिक पारिश्रमिक (करोड़ रु. में)	**197.88**	**197.59**

22. CONTINGENT LIABILITIES AS ON 31ST MARCH 2016

a) Claims from the various contractors which are under Arbitration/ litigation/dispute and which are not provided in the books as liabilities works out to Rs. 36.33 Crs.

(Rs. in Crs.)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
1	Consumables & spare parts	1.45	1.81
2	Capital Goods	2.96	0.07
3	Expenditure in foreign currency for Training, D.A., Conference expenses, Maintenance contracts etc.	0.04	0.19
4	Expenditure in foreign currency for Services - Arbitration Charges	0.24	0.15
5	Expenditure in foreign currency for subscription etc.	0.05	0.09
6	Value of imported & indigenous spare parts consumed and % to total consumption (Rs. In Crs.)	Imported 1.45 19.33%	Imported 1.81 16.17%
		Indigenous 6.05 80.67%	Indigenous 9.38 83.82%
		Total 7.50 100.00%	Total 11.19 100.00%
7	Total purchase of stores and materials made on capital A/c during the year and not included in capital A/c.	NIL	NIL

(Rs. in Lakhs)

Particulars	2015-16	2014-15
As Auditors to CAG	20.14	28.50
Tax Auditors in respect of Taxation Matter	6.30	5.70
Internal Auditor	5.73	7.86
Management Services including Certification	15.20	8.14
Total	**47.37**	**50.20**

b) Compensation claimed for Saltpan land under litigation is Rs.25.00 Crs.

Category Class	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
I	183	186
II	48	49
III	1308	1333
IV	99	101
Total	**1638**	**1669**
Annual remuneration to Employees (Rs. In Crs.)	**197.88**	**197.59**

(ग) हनुमान कोलीवाड़ा के दूसरे पुनर्वास पर रु. 5.69 करोड़ का किया गया व्यय।

(करोड़ रु. में)

विवरण	2015-16	2014-15
भंडारों तथा कलपुर्जों की खपत	7.50	11.19
बिजली, ईंधन, तेल एवं जल	123.91	130.27
लघु कार्यों सहित मरम्मत एवं अनुरक्षण	22.76	30.72
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	197.88	197.59
अधिवर्षिता निधियों में अंशदान	125.42	286.54
कर्मचारी कल्याण व्यय	18.30	22.04
चिकित्सा व्यय	16.57	15.57
बीमा	4.79	5.37
आय पर करों को छोड़कर दरें एवं कर	0.01	0.21
सामान्य व्यय	26.99	37.57
योग	**544.13**	**737.07**

(घ) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए 12.5 प्रतिशत योजना के अंतर्गत 111 हेक्टेयर भूमि के विकास की लागत सहित कुल लागत लगभग रु. 252.34 करोड़ है, क्योंकि अभी भी सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

23. विशेष उद्देश्य कम्पनी :

ज.ने. पत्तन का सड़क सम्पर्क सुधारने के लिए जनेप न्यास ने सिडको, महाराष्ट्र सरकार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन क्रियान्वित किया है। तद्नुसार, मुंबई – ज.ने. पत्तन सड़क कम्पनी के नाम से एक विशेष उद्देश्य कम्पनी प्रारंभ की गई जिसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। पहले चरण में परियोजना की अनुमानित लागत रु. 357.80 करोड़ है जिसमें रु.100 करोड़ की व्यवस्था इक्विटी से होगी और शेष राशि की व्यवस्था प्रवर और अवर ऋण से होगी। इक्विटी में ज.ने.प. न्यास का योगदान रु. 40 करोड़ है एवं अवर ऋण रु. 60 करोड़ का है जो कि कुल मिलाकर रु. 100 करोड़ हैं। अवर ऋण को बैंकधवित्तीय संस्थान के पक्ष में सहूलियत–पत्र जारी करके भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ज.ने. पत्तन ने अब तक विशेष उद्देश्य कम्पनी की इक्विटी में रु.40 करोड़ का पूर्ण योगदान किया है एवं शर्तों के अनुसार 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से रु.30 करोड़ (अप्रैल, 2005) का ऋण दिया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 तक मुंबई – ज.ने. पत्तन सड़क कम्पनी लि. ने ब्याज सहित ऋण की पूरी राशि अदा कर दी है।

24. मुरगांव पत्तन न्यास को वित्तीय सहायता :

मंत्रालय ने मुरगाँव पत्तन न्यास को रु.300 करोड़ का अंतर–पत्तन ऋण देने के लिए दि. 21.10.2013 के पत्र सं.

c) Expenditure on 2nd rehabilitation of Hanuman Koliwada amounting to Rs. 5.69 Crs.

(Rs. in Crs.)

Particulars	2015-16	2014-15
Consumption of stores and spares	7.50	11.19
Power, Fuel, Oil & Water	123.91	130.27
Repairs & Maintenance incl Minor Works	22.76	30.72
Salaries wages and bonus	197.88	197.59
Contribution to Superannuation funds	125.42	286.54
Employee welfare expenses	18.30	22.04
Medical Expenses	16.57	15.57
Insurance	4.79	5.37
Rates and Taxes excluding taxes on income	0.01	0.21
General Expenses	26.99	37.57
Total	**544.13**	**737.07**

d) The total cost inclusive of development of 111 hectares of land under 12.5% Schemes for PAP is Rs. 252.34 Crs. approximately, as decision is awaited from the Government.

23. SPECIAL PURPOSE VEHICLE

JNPT has executed a memorandum of understanding with CIDCO, Govt. of Maharashtra and National Highway Authority of India for providing road connectivity to JN Port. Accordingly, a special purpose vehicle has been floated under name and style of Mumbai-JNP Port Road Co. Ltd. having its registered office in the State of Delhi. The estimated cost of project under Ph-I is Rs. 357.80 Crs.out of which equity is Rs.100 Crs.and balance by Senior Debt and Sub-ordinate Debt. JNP contribution in the equity is limited to Rs.40 Crs. and Sub-ordinate Debt Rs.60 Crs. aggregating to Rs.100 Crs. The sub-ordinate debt can also be replaced by issuing of letter comfort in favour of Bank/Financial Institution. JNP has so far fully contributed Rs.40 Crs.in the equity of SPV and has provided debt of Rs.30 Crs.(April'05) carrying an interest rate of 4% p.a. as per terms. Mumbai-JNP Port Road Co. Ltd. has repaired the entire amount of debt along-with interest by F.Y. 2013-14.

24. FINANCIAL ASSISTANCE TO MORMUGAO PORT TRUST

Ministry conveyed the approval of Competent Authority vide 16(17)2012-PD-VII dated 21.10.2013 for an inter-port loan of Rs.300 Crs. to Mormugao Port Trust out of which share of JNPT is Rs.200 Crs. The rate of interest is 10% and

16(17)2012–पीडी–VII के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की सूचना दी जिसमें से जनेप न्यास का हिस्सा रु. 200 करोड़ है । ब्याज की दर 10% है तथा अधिस्थगन अवधि 2 वर्ष या कम से कम 10 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात पूर्ण होने तक है । तदनुसार रु. 15 करोड़ की राशि दो किस्तों में जारी की गई है यथा– 01.01.2014 को रु. 10 करोड़ एवं 03.01.2014 को रु. 5 करोड़। उस पर 31 मार्च, 2016 तक उपार्जित ब्याज को लेखा–बहियों में दिखाया गया है। दो साल की अधिस्थगन अवधि पूरी हो चुकी है और रु. 1.5 करोड़ की मूल राशि की पहली किस्त पूरे अर्जित ब्याज के साथ 31 मार्च, 2016 को पत्तन को प्राप्त हो गई है।

वर्ष के दौरान पत्तन को मुरगाँव पत्तन न्यास से 25 करोड़ के अतिरिक्त ऋण के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भेजा गया। इस अतिरिक्त राशि के ब्याज को 31 मार्च, 2016 तक के बहीखातों में दिखाया गया है और यह 31 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गया है। दिए गए पूरे ऋण पर 31 मार्च, 2016 तक उपार्जित तथा देय ब्याज 31 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गई है और इस खाते में कुछ बकाया नहीं है।

25. ज.ने.प्न्यास के कंटेनर वहन स्थानक तथा बफर यार्ड के लिए लाइसेंस :

मेसर्स सी डब्लू सी को दिए गए पूर्व के लाइसेंस की दि. 31.12. 2005 को समाप्ति पर जने पत्तन के कंटेनर वहन स्थानक एवं बफर यार्ड के प्रबंधन, अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए नया लाइसेंस मे. स्पीडी मल्टीमोड्स लि. पूर्व नाम स्पीडी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. (एसटीपीएल) मुंबई को 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया जिसे अगले 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इस करार में सौंपी गई परिसम्पत्तियों के पट्टे किराए के भुगतान एवं लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार प्रहस्तित टीइयू के लिए रायल्टी का प्रावधान है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पट्टा किरायों, रायल्टी एवं न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय में कमी के कारण मेसर्स एसएमएल से जनेप न्यास को प्राप्त राशि निम्नलिखित रूप से है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	2015–16	2014–15
रायल्टी	5.99	5.74
पट्टा किराए	18.15	17.28
एम जी टी में कमी (रायल्टी सहित)	1.91	1.84

26. धारा 80 आई.ए. के दावे :

पत्तन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कर में लाभ पाने के लिए आवेदन किया है;

क) मे. गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया प्रा. लि. (एपीएम टर्मिनल / जीटीआईपीएल) से अर्जित राजस्व।

ख) सितम्बर 2011 में खरीदकर संस्थापित की गईं तीन रेल माउंटेड की क्रेनें (आरएमकयूसी)।

moratorium period of 2 yrs or till export of iron ore of at least 10 million tonnes is achieved. Accordingly an amount of Rs.15 Crs. has been released in two instalments i.e. Rs.10 Crs. on 01-01-2014 & Rs.5 Crs. on 03-01-2014. The interest accrued there on upto 31st March, 2016 has been recognised in the books of accounts. The moratorium period of 2 years has been completed and first instalment of principal amount of Rs.1.5 Crs has also been received by the Port on 31st March, 2016 alongwith the entire interest accrued.

During the year the Port has received request from Mormugao Port Trust for additional loan of Rs.25 Crs. The same has been remitted to them with the approval of Competent Authority. Interest on this additional amount has been recognised in the books upto 31st March, 2016 and the same has been received as on 31st March, 2016. Entire interest liability on loans advanced accrued and due upto 31st March, 2016 has been received on 31st March, 2016 and there are no outstanding on this account.

25. LICENSE IN RESPECT OF CFS & BUFFER YARD OF JNPT

On expiry of earlier license awarded to M/s CWC on 31/12/2005, a fresh license for Management, Maintenance & Operations of CFS & BY of JNP was awarded to M/s. Speedy Multimodes Ltd. (formerly known as Speedy Transport Pvt Ltd, (STPL)), Mumbai, for a period of 20 years, further extendable by 10 years. The Agreement provides for payment of lease rentals for assets handed over, and royalty for TEUs handled as per conditions of License Agreement. The amounts which accrued in JNPT from M/s SML, during the Financial year 2015-16 towards lease rentals, royalty and shortfall in MGT as per conditions of License are as follows:

(Rs in Crs.)

Particulars	2015-16	2014-15
Royalty	5.99	5.74
Lease rentals	18.15	17.28
Shortfall in MGT (included in Royalty)	1.91	1.84

26. SECTION 80IA CLAIMS

The Port has made an application during the year for availing Tax benefit u/s 80IA of the Income Tax Act for the following infrastructure facilities:-

a) Revenue earned from M/s Gateway Terminals of India Private Limited (APM Terminal / GTIPLs).

b) Three Rail Mounted Quay Cranes (RMQC) purchased and installed in September 2011.

ग) वर्ष 2006–07 में खरीदकर संस्थापित की गईं दो रेल माउंटेड गंत्री क्रेनें (आरएमजीसी)।

घ) वर्ष 2013–14 में संस्थापित की गईं एक रेल माउंटेड की क्रेन (आरएमकयूसी) तथा एक रेल माउटेंड गंत्री केन (आरएमजीसी)।

27. निगमित सामाजिक दायित्व निधि का सृजन :

पत्तन गतिविधियों से समाज पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 2 दिसंबर, 2011 के परिपत्र सं. पीडी–25021/10/2011–पीडी.II द्वारा सभी पत्तनों को निदेश दिया कि यदि पिछले वित्त वर्ष में निवल लाभ रु. 500 करोड़ या उससे अधिक हो तो वे निगमित सामाजिक दायित्व की गतिवधियों के लिए 0.5 से 2.0 प्रतिशत तक की राशि उपलब्ध करवाएँ। मण्डल संकल्प सं. 89, दिनांक 15.01.2016 के अनुसार पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व निधि का सृजन करने का संकल्प किया गया। चूँकि, पिछले वित्त वर्ष 2014–15 का निवल लाभ रु. 556.09 करोड़ है, इसके अनुसार 2 प्रतिशत रु. 11 करोड़ हो जाता है जिसे सामान्य आरक्षित में से स्थानांतरित किया गया। वित्त वर्ष 2015–16 में निवल लाभ रु. 718.69 करोड़ होने पर रु. 14 करोड़ की राशि निगमित समाजिक दायित्व निधि में विनियोजित करना प्रस्तावित है। इस तरह 31 मार्च, 2016 तक निगमित सामाजिक दायित्व निधि में कुल 25 करोड़ की राशि संचित होगी।

28. जनेप न्यास के करमुक्त बान्ड

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दि. 6 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. 46/2012एफ सं.178/60/2012(आईटीए–1) द्वारा जनेप न्यास को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(15)(iv)(एच) के तहत सुरक्षित करमुक्त प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बॉन्ड जारी करके एक समग्र राशि रु.2000 करोड़ तक उगाहने के लिए प्राधिकृत किया।

पोत–परिवहन मंत्रालय ने दि.12 नवम्बर,2012 के अपने पत्र सं.पीडी–24015/1/2012–पीडी.III के द्वारा जनेप न्यास द्वारा करमुक्त बॉन्डों को जारी करने की मंजूरी दी तथा दि. 4 जनवरी, 2013 के पत्र सं.पीडी–11015/25/2012–पीडी. VI के द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 66(3) के संबंध में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना के अंतर्गत निर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार रु. 2000/– करोड़ के बॉन्डों को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना दी।

आवश्यकताओं के अनुसार बॉन्ड जारी करते समय उनका सुरक्षा निर्धारण मेसर्स क्रिसिल एवं मे. ब्रिकवर्क रेटिंग इं.प्रा.लि. द्वारा किया गया। ब्याज के भुगतान एवं पूंजी की वापसी के संबंध में अधिकतम सुरक्षा दर्शाते हुए मेसर्स क्रिसिल द्वारा ए.ए.ए. और मे.ब्रिकवर्क द्वारा 'ए.ए.ए.' (जिसका उच्चारण बी.डब्लू.

c) Two Rail Mounted Gantry Cranes (RMGC) purchased and installed in 2006-07.

d) One Rail Mounted Quay Cranes (RMQC) and one Rail Mounted Gantry Cranes (RMGC) installed in 2013-14.

27. CREATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND (CSR FUND)

The Ministry of Shipping circular No.PD-25021/10/2011-PD.II dated 2nd December, 2011, considering the economic, social and environmental impact of the activities of the Ports on the society and the environment, has directed all Ports to provide for CSR activities ranging from 0.5% to 2.0% if the net profit in the previous financial year is Rs. 500 Crs. & above. As per Board Resolution no.89/15.01.2016, it was resolved that a CSR Fund may be created as per the guidelines issued by the Ministry of Shipping. As the Net Profit of the previous year i.e. FY 2014-15 was Rs.556.09 Crs., Rs.11 Crs. being 2% of Net Profit were transferred from General Reserves. In FY 2015-16, the net profit being Rs.718.69 Crs. an amount of Rs.14 Crs. is proposed to be appropriated towards CSR Fund. This shall accumulate a total amount of Rs.25 Crs. towards CSR Fund as on 31st March, 2016.

28. TAX FREE BONDS OF JNPT

Central Board of Direct Taxes vide Notification No.46/2012. F.No.178/60/2012(ITA.1) dated 6th November 2012 authorized JNPT to raise an aggregate amount not exceeding Rs.2000 crore through the issue of secured tax free redeemable non-convertible bonds under Section 10(15)(iv)(h) of the Income Tax Act, 1961.

Ministry of Shipping vide their letter No.F.No.PD-24015/1/2012-PD.III dated 12th November 2012 sanctioned issue of Tax Free Bonds by JNPT and vide letter No.PD-11015/25/2012-PD.VI dated 4th January 2013 conveyed the approval of the competent authority for issue of bonds of Rs.2000 Crs. as per the terms and conditions specified under Department of Revenue, Ministry of Finance Notification in terms of Section 66(3) of Major Port Trust Act, 1963.

As per requirements the Bond Issue rating was done by M/s. CRISIL and M/s. Brickwork Rating India Pvt Ltd. The bonds have been rated 'AAA' by M/s. CRISIL and "BWR AAA (Pronounced BWR Triple A)" indicating highest safety with regard to payment of interest and return of capital and ratings

आर.ट्रिपल ए भी किया जाता है) बॉण्डों का सुरक्षा निर्धारण किया है तथा उनके द्वारा की गई निगरानी के अनुसार बाद में भी यह स्तर कायम रहा।

जनेप न्यास द्वारा करमुक्त बॉन्ड के निर्गम को दि. 15 फरवरी, 2013 के एस ओ सं.378/ई द्वारा भारत के राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया था।

फिर प्राप्त आवेदनों/बोलियों के तकनीकी रूप से खारिज होने को ध्यान में रखने के बाद रु. 41,31,96,000/– राशि के 413196 बॉन्ड आबंटित किए गए। बॉन्ड 26 मार्च, 2013 को आंबटित किए गए थे एवं पैसा विभिन्न वसूलीकर्ता बैंकरों से हमारे वसूली लेखे में स्थानांतरित हुआ।

बॉंड सूचीबद्ध करने के आवेदनों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टाक एक्सचेंज में प्रस्तुत किया गया तथा बॉन्डों को 3 अप्रैल, 2013 को सूचीकृत किया गया।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा जारी बांड क्योंकि सुरक्षित प्रकृति के हैं, इसलिए जसखार गाँव की सर्वे सं. 284 के अंतर्गत आने वाली कुल 1.75 हेक्टेयर पत्तन की भूमि का पत्तन के डिबेंचर ट्रस्टी एस बी आई कैप ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड के पास बंधक विलेख दर्ज किया गया तथा उस भूमि को उप–निबंधक, उरण के यहाँ पंजीकृत कराया गया।

सेबी को दिए गए आश्वासनों के अनुसार डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि बनाई गई है। 10वें वर्ष की समाप्ति पर प्रतिदान देयता की पूर्ति के लिए रु. 41.32 करोड़ की राशि आरक्षित निधि के रूप में अलग रखी गई है।

वर्ष के दौरान रु. 2.89 करोड़ का ब्याज अदा किया गया है। पत्तन इस बांड निर्गम से संबंधित सभी सांविधिक अपेक्षाओं का पूरी तरह से पालन कर रहा है।

29. प्रस्तुतीकरण में एकरूपता तथा समानता बनाए रखने के लिए जहाँ भी आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/फिर से तैयार किया गया है।

have been maintained subsequently also as per surveillance carried out by them.

Issue of Tax Free Bonds by JNPT was also notified in the Gazette of India vide SO No.378/E dated 15th February 2013.

Further taking into account technical rejection for applications/bids received 413196 bonds were allotted aggregating to Rs.41,31,96,000/-. The Bonds were allotted on 26th March 2013 and money transferred to our collection account with various collecting bankers.

Listing applications were filed with Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange and bonds were listed on 3rd April 2013.

Since bonds issued by JNPT are secured, Mortgage Deed was entered into with SBICAP Trustee Company Ltd, our Debenture Trustee for land aggregating to 1.75 hectares under Survey No.284 of Jaskhar Village and registered with Sub-Registrar, Uran.

Debenture redemption reserve has been created as per the assurance given to SEBI. An amount of Rs. 41.32 Crs. has been set apart as reserve for meeting the redemption liability at the end of the 10th year.

Interest amounting to Rs. 2.89 Crs. was paid during the year. Port is fully complying with all the statutory requirements related to this Bond Issue.

29. Previous Years figures have been regrouped / recast wherever necessary to have consistency and uniformity in presentation.

ह-
(डी. नरेश कुमार)
प्रभारी मुख्य प्रबंधक (वित्त)

ह-
(अनिल डिग्गीकर)
अध्यक्ष

Sd-
(D NARESH KUMAR)
CHIEF MANAGER (FIN.) I/c

Sd-
(ANIL DIGGIKAR)
CHAIRMAN

यह पृष्ठ जान–बूझकर खाली छोड़ा गया है।
This page is kept intentionally blank.